



285

न्यायालय: माननीय राजस्व मण्डल म०प्र० ग्वालियर,

प्रकरण क्रमांक / 2014 पुनरीक्षण R 1526-III/14

20. के. को. 199  
16-5-14  
16/5/14  
12.15 PM

प्रदीप सिरवैया पुत्र श्री द्वारिका प्रसाद  
सिरवैया निवासी- मामोन दरवाजा,  
टीकमगढ़, तहसील व जिला  
टीकमगढ़ म०प्र० — आवेदक

बनाम

1650  
07

S.R. Sharma  
16-5-14

1. म०प्र० शासन
2. श्रीमती कृष्णा पत्नी श्री गोविन्दसिंह  
सिसौदिया, निवासी- मामोन दरवाजा,  
टीकमगढ़, तहसील व जिला टीकमगढ़  
म०प्र०,
3. कामता प्रसाद पुत्र कमलापत,  
निवासी- मऊ चुंगी के पास,  
टीकमगढ़, जिला टीकमगढ़, म०प्र०  
— अनावेदकगण

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 सहपठित धारा 32 म०प्र० भू-राजस्व  
संहिता 1959 विरुद्ध आदेश दिनांकी 10/3/2014, पारित द्वारा  
न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी टीकमगढ़ म०प्र०, प्रकरण क्रमांक  
761/2014 अर्जिल व उनवान प्रदीप सिरवैया बनाम म०प्र० शासन  
आदि ।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से पुनरीक्षण निम्न प्रकार प्रस्तुत है:-

3

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-1526-तीन/2014

जिला टीकमगढ़

प्रदीप विरूद्ध शासन व कृष्णा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
25-02-2019	<p>1. प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक द्वारा यह अनुविभागीय अधिकारी टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 761/2014 में पारित आदेश दिनांक 10-03-2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-09-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर टीकमगढ़ के न्यायालय को अंतरित किया जाता है ।</p> <p>2. पक्षकार दिनांक 18-04-2019 को कलेक्टर टीकमगढ़ के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों ।</p>	<p>(आर.के. जैन) सदस्य</p> <p>25/2/2019</p>